

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 09.09.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 15 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मोतीराम उर्फ भुजऊ पुत्र भोनू नि0 पेरी पोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 268/21, 02. मिठाई लाल उर्फ गाठे नकानू नि0 जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 269/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामू पुत्र रामदेव नि0 कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 303/21, 02. रामदीन पुत्र गादर नि0 कुरासी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 304/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. गिरधारी लाल पुत्र श्री राम नि0 गढवलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 217/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. वासुदेव पुत्र साहब बक्श नि0 भुलभुलिया हाता थाना को0देहात के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 340/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सीताराम गौतम पुत्र स्व0 माता प्रसाद नि0 जगदीश पुर मौजा रुद्रपुर विशेन थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 696/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामअवतार पुत्र गंगा प्रसाद नि0 गोड़ियन पुरवा मौजा खानपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर बरामद कर मु0अ0सं0-309/21, धारा 272 भादवि0 व 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

प्रेस नोट

मीडिया सेल जनपद गोण्डा

दिनांक 09.09.2021

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त ऋषि कुमार पाण्डेय को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया। उक्त अभियुक्त नें दिनांक 05.08.21 को वादी मृत्युंजय द्वारा अपना रुपया मांगने पर गाली गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ऋषि कुमार पाण्डेय पुत्र विजय कुमार पाण्डेय नि0 छेदीपुरवा थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 597/21, धारा 323,504,506,427 भादवि0 थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 चन्द्र प्रताप सिंह मय टीम।